पत्रांक–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025–237 (9) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी. के. अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 02/02/2026

विषयः– **बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के संदर्भ में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" (Lis Pendens) मामलों के संबंध में मार्गदर्शन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दाखिल–खारिज वादों एवं राजस्व प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों यथा– भूमि विवाद, सीमांकन / भू–मापी, आदि के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होने की कारणों की समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6 (12) में प्रयुक्त शब्द "लंबित" एवं विभिन्न राजस्व मामलों में "सक्षम न्यायालय" शब्द की विभिन्न अंचलों में अलग–अलग व्याख्या किये जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है एवं Bonafide Purchaser के संशय की स्थिति में रहने के कारण इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

2. बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6 (12) निम्नवत है :–

"होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल–खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हो।"

3. ज्ञातव्य हो कि दिवानी अदालत जो Civil Procedure Code, 1908 से चलता है, में भी "लंबित" (Lis Pendens) की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, General Clauses Act, 1897 में भी "लंबित" शब्द परिभाषित नहीं है।

4. उपरोक्त के आलोक में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि–

(क) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6 (12) में अंकित "सक्षम न्यायालय" से अभिप्रेत दिवानी / व्यवहार न्यायालय (Civil Court) / पटना उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय है।

(ख) दाखिल–खारिज अथवा अन्य राजस्व संबंधी मामलों हेतु राजस्व न्यायालय (DCLR/ADM/Collector/Commissioner Court) / विधि द्वारा अधिकृत (Jurisdiction Vested) न्यायालय / बिहार भूमि न्यायाधिकरण (BLT) भी सक्षम न्यायालय समझे जायेंगे।

(ग) लंबित का अभिप्रेत (i) Admission एवं नोटिस (ii) स्थगन आदेश (Temporary Injunction or Permanent Injunction) (iii) यथास्थिति (Status Quo) होगा।

(घ) "सक्षम न्यायालय में लंबित" का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका–3(क) एवं 3(ख) में उल्लेखित न्यायिक/अर्द्धन्यायिक प्राधिकार/न्यायाधिकरण के समक्ष विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना "सक्षम न्यायालय में लंबित" नहीं माना जायेंगा।

(ङ०) उपरोक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश (Stay Order/ Temporary Injunction or Permanent Injunction) अथवा अंतरिम आदेश (Interim Order) प्रभावी हो, तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

(च) जहां किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेंगे।

(छ) सक्षम न्यायालय में दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से यदि स्वीकारण (Admission) अंकित नहीं हो, "लंबित" नहीं माना जाय।

अतः उपरोक्त दिशा–निदेशों के आलोक में "सक्षम न्यायालय में लंबित" शब्द की व्याख्या करते हुए सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाय।

विश्वासभाजन,

02/02/2026

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–09/दा०खा० (मास्टर परिपत्र)–XII–81/2025–237(9)/रा०, पटना–15, दिनांक–02/02/26

ई–मेल

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/2026

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–09/दा०खा० (मास्टर परिपत्र)–XII–81/2025–237(9)/रा०, पटना–15, दिनांक–02/02/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02/02/2026

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–09/दा०खा० (मास्टर परिपत्र)–XII–81/2025–237(9)/रा०, पटना–15, दिनांक–02/02/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–सह–जिला सम्पर्क पदाधिकारी (विभाग में प्रतिनियुक्त)/विभागीय आई०टी० प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/2026

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।